दिनांक 09.08.2017 को अपराह्न 4:00 बजे विशेष सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति

1. श्री पंकज कुमार पाल	– विशेष सचिव	– अध्यक्ष
2. श्रीमती सुधा रानी	– विशेष कार्य पदाधिकारी	– सदस्य
3. श्री अजीत कुमार सिन्हा	– सहायक निदेशक, नियोजन	– सदस्य
4. डॉ0 (श्रीमति) तृप्ति चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
5. श्री सतीश कुमार शाही	– अवर सचिव, श्रम पक्ष	
8. डॉ0 विनायक पद्माकर	– प्रशाखा पदाधिकारी– 01 (सरकार पक्ष)	
9. श्री अशोक कुमार	– प्रशाखा पदाधिकारी– प्रशिक्षण पक्ष	
10. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

सरकार पक्ष (प्रशाखा–1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्रीमती प्रीतालाल पति–स्व0 डा0 ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा0 क0 रा0 बीमा योजना	**मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध मे–** उप सचिव प्रभारी प्रशाखा–1 द्वारा प्रतिवदेन किया गया है कि श्रीमती प्रीतालाल, के आवेदन पर कार्रवाई स्वाथ्य विभाग के स्तर पर लंबित थी। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से सेवा विनियमन किए जाने के उपरान्त विभाग के स्तर से अव्यवहृत उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक– 1696 दिनांक 07.07.2017 की छायाप्रति संलग्न है। इस कारण इसे प्रशाखा–1 से विलोपित किया जा सकता है। इसके पूर्व अवर सचिव, प्रशाखा–1 द्वारा विभागीय पत्रांक– 14 दिनांक 02.01.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के पारिवारिक पेंशन एवं उपदान स्वीकृत कर महालेखाकार को भेजा जा चुका है । ग्रुप बीमा योजनान्तर्गत की गयी कटौती राशि की विवरणी स्वास्थ्य विभाग तथा आवेदिका को भेजा जा चुका है तथा विभाग में पदस्थापना के दौरान कुल एक सौ चालीस दिन की चिकित्सकीय अवकाश की स्वीकृति विभागीय अधिसूचना सं0–98 दिनांक 18.09.2012 द्वारा दिया गया । प्रशाखा–1 से प्राप्त प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
2. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	**दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–** उप सचिव प्रभारी प्रशाखा –1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति विचारणीय है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी थी। कुछ पृच्छा के साथ संचिका वापस आ गयी थी।

	निराकरण करते हुए संचिका पुन वित्त विभाग को भेजी गयी है। उपस्थित प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
3. डॉ0 कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत, क्षे0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	**<u>अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में–</u>** उप सचिव प्रशाखा पदा0–1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लगभग 42 पदाधिकारी के साथ इनके मामले को रखा जा रहा है। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक– 23.052017 को निर्धारित की गई थी। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा कुछ निदेश के साथ पुनः इस मामले को समिति के समक्ष रखने का निदेश था। निदेश अनुपालन करते हुए पुन विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथि दिनांक 11.08.2017 को निर्धारित है। उपस्थित प्रशाखा पदा0–1 को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
4. श्री सुनील कुमार एवं अन्य उप प्राचार्यगण	**<u>उप प्राचार्य से प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में–</u>** आवेदकगण के आवेदन के संबंध में उप सचिव प्रभारी प्रशाखा –1 का पत्रांक–1685 दिनांक 07.07.2017 समिति को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र श्री सुनील कुमार एवं अन्य सभी उप प्राचार्य (बैच–2011) को संबोधित है, जिसमें तथ्यों को दर्शाते हुए भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति विचारणीय नहीं होने की सूचना दी गई है। समिति द्वारा उप सचिव से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया।

श्रम पक्ष

श्रम पक्ष में लंबित मामलेां की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संघ 2. श्रीमती हीरा देवी, पति–स्व0 फूलन सिंह, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 ग्राम+पोस्ट–दिघवलिया, जिला–सिवान 3. श्री लाल बाबू, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 4. श्री अजय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0	**<u>सरकारी सेवकों को कनीय/वरीय प्रवर कोटि का लाभ प्रदान करने के एवं श्रम प्रवर्त्तन पदा0 संवर्ग की सेवाशर्त्त नियमावली के गठन के संबंध में–</u>** श्रम पक्ष के पत्रांक–4166 दिनांक 08.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन आवेदकों द्वारा अपने–अपने आवेदन के माध्यम से कनीय/वरीय तथा सुपर टाईम स्केल में प्रोन्नति दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। संदर्भित मामलों की समीक्षा विषय से संबंधित संचिका में किये जाने के बाद यह बात सामने आई कि यह योजना दिनांक–31.12.1995 को बंद हो गई है। अब करीब 22 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसे मामलों पर विचार किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में पत्रांक–5/आर0एल0–40–37/श्र0स0–3842 दिनांक–19.07.2017 द्वारा संबंधित मामलों को तत्काल संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है। नियमावली के संबंध में श्रम पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त)

5. श्री जय गोविन्द राम, सेवानिवृत्त, श्रम प्रर्वतन पदा0 6. श्री रमाकान्त सिंह, सेवा निवृत्त श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी सदर छपरा।	नियमावली अधिसूचित कर दी गयी है। समिति द्वारा श्रम पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सभी छह मामलों को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलेां की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री प्रेम चन्द्र कुमार सिन्हा, महासचिव, बिहार राज्य औ0 प्र0 संस्थान कर्मचारी संघ	**चतुर्थ वर्गीय कर्मियो को निम्न वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक– 1837 दिनांक 08.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रोन्नति समिति द्वारा दिनांक–09.09.2016 को चतुर्थ वर्गीय से निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किये गये कुल 15 की प्रोन्नति निदेशालय , नियोजन एवं प्रशिक्षण के कार्यालय आदेश सह ज्ञापांक–1600 दिनांक 11.07.2017 द्वारा दिया जा चुका है तथा पदस्थापन भी कर दी गई है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है। प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।
2. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	**अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–1831 दिनांक 08.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से0नि0) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू0 1,18,981/– है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान को राशि में कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार को सभी अभिलेखों के साथ उप निदेशक के प्रभार में संयुक्त निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया था। प्राचार्य दिनांक–16.05.2017 को उपस्थित हुए । उन्हें समीक्षोपरान्त आवश्यक निदेश दे दिया गया कि यथाशीध्र महालेखाकार को भेजे जाने वाले अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ताकि मंतव्य के साथ उसे भेजा जा सके। अभी तक प्राचार्य द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। दूरभाष से भी कई बार स्मारित किया गया है। संबंधित पटल से स्मारित करने हेतु निदेश दिया गया है। प्रशिक्षण पक्ष से उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछते हुए एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाए। यदि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं

	होता है तो उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया जाए। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेश का तत्परतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।
3. श्री रामनरेश सिंह एवं अन्य कार्यालय परिचारिगण, प्रशिक्षण पक्ष	**शीतकालीन वर्दी की आपूर्ति के संबंध में** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक– 1837 दिनांक 08.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 का शीतकालीन वर्दी एंव 2017–18 का ग्रीष्मकालीन वर्दी की आपूर्ति हेतु संचिका उपस्थापित कर दी गई है। निकट भविष्य में इसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। प्रशिक्षण पक्ष से उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित पटल एवं उसके प्रभारी से वर्दी आपूर्ति नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाए एवं मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाए। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निदेश का तत्परतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1. डॉ0 एस0 एस0 मुजफ्फरउद्दीन बलखी 2. डॉ0 उषा पाण्डेय 3. डॉ0 सी0 के0 पी0 सिहं	**कर्मचारी राज्य बीमा येाजना के आयुष, यूनानी एवं एलोपैथी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में।** उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं0–1/ श्रम वि.ई. 8–80–01/2015 विधि प्रभारी श्री अजीत कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक 04.08. 2017 को निदेशालय में प्राप्त करायी गयी। अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका प्रशाखा–1 को दिनांक 08. 08.2017 को लौटा दी गयी है। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली–2017 को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ सामान्य प्रशासन विभाग में गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.07.2017 को बैठक संपन्न हुई जिसमे नियमावली की स्वीकृति के पश्चात आगे की कार्रवाई के लिए संचिका विभाग को लौटा दी गयी है। निदेशालय स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि "आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली" तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा